



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062026-273152  
CG-DL-E-04062026-273152

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2766]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948

No. 2766]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2026

का.आ. 2860(अ).— केन्द्रीय सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 6क की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

1. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की अनुसूची में -

(i) पैरा 1 और विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"1. कच्चे तेल और केसिंग शीर्ष द्रवण के उत्पादन के लिए रॉयल्टी दरें

व्यवस्था / नीति	भूमि पर	उथले समुद्र	गहरे समुद्र	अत्यधिक गहरे समुद्र
(i) राष्ट्रीय तेल कंपनियों को नामांकन के आधार पर प्रदान किए गए क्षेत्र	20%	10%	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से पहले 7 वर्ष की अवधि के लिए 5%	

व्यवस्था / नीति	भूमि पर	उथले समुद्र	गहरे समुद्र	अत्यधिक गहरे समुद्र
(ii) नई खोज अनुज्ञापन नीति से पहले निजी/संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदान किए गए खोज ब्लॉक  (iii) नई खोज अनुज्ञापन नीति से पहले संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदान किए गए भूमि पर खोजे गए क्षेत्रों की संविदा			वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान किए गए उत्पादन के लिए 10%	
(iv) नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन प्रदान किए गए क्षेत्र	12.5%	10%	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से पहले 7 वर्ष की अवधि के लिए 5%	
			वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान किए गए उत्पादन के लिए 10%	
(v) नई खोज अनुज्ञापन नीति से पहले संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदान किए गए खोजे गए अपतट क्षेत्र	संबंधित उत्पादन-हिस्सेदारी संविदा में यथाविनिर्दिष्ट			
(vi) 'खोजी गई लघु क्षेत्र नीति और हाइड्रोकार्बन खोज अनुज्ञापन नीति' के अधीन प्रदान किए गए क्षेत्र	12.5%	7.5%	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से पहले 7 वर्ष की अवधि के लिए 0%	
			वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए	वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 2%

व्यवस्था / नीति	भूमि पर	उथले समुद्र	गहरे समुद्र	अत्यधिक गहरे समुद्र
			उत्पादन के लिए 5%	

(ii) पैरा 5 में, मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएँगे, अर्थात्: -

(2) रॉयल्टी की गणना सह-रॉयल्टी के आधार पर की जाएगी, -

(क.) राष्ट्रीय तेल कंपनियों को नामांकन के आधार पर प्रदान किए गए भूमि पर क्षेत्र;

(ख.) नई खोज अनुज्ञप्ति नीति से पहले निजी या संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदान किए गए भूमि पर खोज ब्लॉक; और

(ग.) नई खोज अनुज्ञापन नीति से पहले संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदान किए गए भूमि पर खोजे गए क्षेत्रों की संविदा।

(3) रॉयल्टी की गणना सभी अपतटीय क्षेत्रों (उथला क्षेत्र, गहरा समुद्री क्षेत्र और अति गहरा समुद्री क्षेत्र) के लिए सभी व्यवस्थाओं और नीतियों के अधीन और सभी भूमि पर क्षेत्रों और उन व्यवस्थाओं तथा नीतियों के अधीन संविदाओं के सिवाय जो पैरा 5 की मद (2) में विनिर्दिष्ट की गई हैं के लिए एक्स रॉयल्टी के आधार पर की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 11 मई, 2026 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. इएक्सपीएल -11023/1/2020-इएक्सपीएल-I-पीएनजी (ई-33879)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

नोट - तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की अनुसूची को 1969 के अधिनियम 39 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. 814 (अ), तारीख 16.12.2024, सा.का.नि. 559 (अ) तारीख 20.08.2007, का.आ. 615 (अ), तारीख 28.08.2009, का.आ. 173 (अ), तारीख 15.01.2016, का.आ. 367 (अ), तारीख 14.01.2010, का.आ. 1597 (अ), तारीख 11.04.2019, का.आ. 4382 (अ), तारीख 20.10.2021, का.आ. 2376 (अ), तारीख 08.05.2026 के द्वारा से संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th June, 2026

**S.O. 2860(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6A of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments, further to amend the Schedule to the said Act, namely: -

1. In the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, in the Schedule, -

(i) for paragraph 1 and the existing entries, the following paragraph and entries shall be substituted, namely: -

**“1. Royalty Rates for production of Crude Oil and Casing Head Condensate:**

Regime / Policy	Onland	Shallow Water	Deep Water	Ultra-Deep Water
(i) Areas awarded on nomination basis to National Oil Companies  (ii) Exploration Blocks awarded to Private or Joint Venture Contractors prior to New Exploration Licensing Policy (iii) Onland Discovered Fields Contracts awarded to Joint Venture Contractors prior to New Exploration Licensing Policy	20%	10%	5% for the period of first 7 years from the date of commencement of commercial production	
			10% from the date of commencement of the 8 <sup>th</sup> year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	
(iv) Areas awarded under New Exploration Licensing Policy	12.5%	10%	5% for the period of first 7 years from the date of commencement of commercial production	
			10% from the date of commencement of the 8 <sup>th</sup> year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	
(v) Offshore Discovered Fields awarded to Joint Venture Contractors prior to New Exploration Licensing Policy	As specified in the respective Production Sharing Contract			
(vi) Areas awarded under Discovered Small Field	12.5%	7.5%	0% for the period of first 7 years from the date of commencement of commercial production	

<b>Policy and Hydrocarbon Exploration Licensing Policy</b>			5% from the date of commencement of the 8 <sup>th</sup> year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	2% from the date of commencement of the 8 <sup>th</sup> year of commercial production and onwards as well as for production during any other period.”.
--	--	--	---	--

(ii) in paragraph 5, for item (2), the following items shall be substituted, namely: –

“(2) The royalty shall be computed on *cum*-royalty basis for, –

- (a) Onland areas awarded on nomination basis to National Oil Companies;
  - (b) Onland Exploration Blocks awarded to Private or Joint Venture Contractors prior to New Exploration Licensing Policy; and
  - (c) Onland Discovered Fields Contracts awarded to Joint Venture Contractors prior to New Exploration Licensing Policy.
- (3) The royalty shall be computed on *ex*-royalty basis for all Offshore areas (Shallow Water, Deep Water and Ultra Deep Water) under all regimes and policies and all Onland areas and contracts under regimes and policies except those specified under item (2) of paragraph 5.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 11<sup>th</sup> day of May, 2026.

[F. No. Expl-11023(1)2020-EXPL-I-PNG (E-33879)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.

**Note:** The Schedule of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 was inserted by Act 39 of 1969 and subsequently amended *vide* G.S.R. 814 (E), dated 16.12.2004, G.S.R. 559 (E), dated 20.08.2007, S.O. 615 (E), dated 28.08.2009, S.O. 173(E), dated 15.01.2016, S.O. 367 (E), dated 14.01.2019, S.O. 1597 (E), dated 11.04.2019, S.O. 4382(E), dated 20.10.2021, S.O. 2376 (E), dated 08.05.2026.